कार्यकारी सार

प्रतिवेदनों में 31 पैराग्राफों को अन्तर्विष्ट करते हुए ₹ 31.48 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। हमने इसके अतिरिक्त ₹ 30.80 करोड़ के राशि मूल्य वाले 90 पैराग्राफ जारी किए थे, जिन पर विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ ज्ञापनों को जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों पर निर्णय लेकर तथा ₹ 27.76 करोड़ की वसूली करके सुधारात्मक कार्रवाई की। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो का वर्णन आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व-प्रवृत्ति संघटन तथा प्रणालीगत मुद्दे

- जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

{पैराग्राफ 1.8 से 1.9}

- राजस्व विभाग के पास निष्पादन की अधिक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके व्यापार आवंटन, क्रियाकलापों, निष्पादन और सफलता सूचकों के विषयों के अनुसार उद्देश्यों के परिणामों के ढांचागत दस्तावेज नहीं हैं।

{पैराग्राफ 1.18}

- संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अस्थिर अन्तर ने सुझाया कि विभाग ने बजट पूर्व विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कोई तर्कपूर्ण पद्धति नहीं अपनाई थी।

{पैराग्राफ 1.19}

- छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व आयात में अनुरूप वृद्धि के बिना घाताँकीय रूप से बढ़ रहा है।

{पैराग्राफ 1.27 से 1.33}

- व्यापक आर्थिक स्तर पर एसईजेड योजना के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला।

{पैराग्राफ 1.34}

- आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) और स्वनिर्धारण सभी सीमाशुल्क लेन-देनों के लिए लागू नहीं है।

{पैराग्राफ 1.39 से 1.41}

- गत दस लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने **2129.73** करोड़ के **1709** लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे। सरकार ने इनमें से ₹ **1177.03** करोड़ वाले **1390** लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ **156.89** करोड़ की वसूली की।

{पैराग्राफ 1.79}

अध्याय II: शुल्क छूट/माफी योजनाएं

- शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाकर निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से ₹ **20.48** करोड़ का राजस्व प्राप्य था।

{पैराग्राफ 2.1 से 2.47}

अध्याय III:सीमाशुल्क का गलत निर्धारण

- हमने कुल ₹ **6.11** करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के मामले ढूढें। मुख्यतः ऐसा उन विभागों टेंको मे बचे ईंधन पर लागू शुल्क को न लगाने, एंटी डम्पिंग शुल्क न लगाने, लागत प्रभार की वसूली न होने तथा निर्यात पर शिक्षा अपकर न लगाने आदि के कारण हुआ।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.31}

अध्याय IV: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

- छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ **2.85** करोड़ के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.10 }

अध्याय V: माल का गलत वर्गीकरण

- माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ **2.04** करोड़ का शुल्क कम उद्ग्रहित हुआ।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.17}